Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur
National Tobacco Control Program
E-mail: ntcp.raj@gmail.com

क्रमांक : एनटीसीपी/2024/1834 दिनांक: 30.08.2024

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषयः समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों में तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र (टीसीसी) संचालित करने बावत्।

संदर्भः
1. पत्र क्रमांक एनटीसीपी/2024/1814 दिनांक 26.07.2024
2. Public Notice: CDN-20011/218/2024-Coord-NMC Dated 16-08-2024

उपर्युक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग (NMC) के द्वारा संदर्भित Public Notice 16.08.2024 के द्वारा समस्त मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित Tobacco Free Youth Campaign 2.0 के अंतर्गत तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र (टीसीसी) प्रारम्भ किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा आगामी सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में सम्पूर्ण देश में संचालित मेडिकल कॉलेजों में एक साथ तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्रों (टीसीसी) का शुभारम्भ करने के विषय में भी अवगत करवाया गया है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षकर्ता के संदर्भित पत्र के द्वारा भी दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के द्वारा आगामी सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में उक्त तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्रों (टीसीसी) के प्रस्तावित शुभारम्भ के मध्यनजर पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों (Including AIIMS & ESI Hospitals) में तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र (टीसीसी) की सेवाऐं तत्काल प्रारम्भ करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन (संलग्न) अनुसार संचालन करना सुनिश्चित करे।

समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों से नियमित समन्वय तथा भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह समस्त टीसीसी से रिपोर्टिंग के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के स्तंर पर एक नोडल अधिकारी टीसीसी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी टीसीसी के द्वारा संकलित रिपोर्ट प्रतिमाह 05 तारीख तक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के ई–मेल ntcp.raj@gmail.com पर प्रेषित करने के लिए निर्देशित करे।

Encl:
1. Operational Guidelines for Establishing of Tobacco Cessation Centres in Dental Institutes
2. Operational Guidelines for Establishing Tobacco Cessation Centres in Medical Institutions

(शुभ्रा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एनटीसीपी/2024/1834 दिनांक : 30.08.2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–
1. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, एडीशनल डीडीजी, एनटीसीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भार[illegible] सरकार।
3. निजी सहायक, निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं [illegible]
4. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा [illegible] महाविद्यालय राज[illegible]
5. प्रभारी सर्वर को ई–मेल हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Shubhra Singh
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date: 2024.08.30 08:57:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9942016

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एनटीसीपी/2024/1814 दिनांकः 26.07.2024

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषयः समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा तथा दन्त महाविद्यालय सम्बद्ध अस्पतालों में "तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र (टीसीसी)" संचालित करने बावत्।

राज्य में 24.7 प्रतिशत व्यस्क लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। अधिकतर तम्बाकू उपभोगी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के कारण इन उत्पादों का सेवन छोडना भी चाहते है, परन्तु तम्बाकू उत्पादों के लतकारी प्रकृति एवं तम्बाकू छोडने के लिए चिकित्सकीय उपचार नहीं मिलने के कारण तम्बाकू का उपभोग छोडने में असफल रहते हैं।

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा तथा दन्त महाविद्यालय सम्बद्ध अस्पतालों में "तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र (टीसीसी)" के संचालन के लिए (1) Operational Guidelines for Establishing Tobacco Cessation Centers in Medical Institutions and (2) Tobacco Cessation in Dental Settings – Reference manual for Dental Professionals जारी की गई हैं (संलग्न)। इस संबंध में पूर्व में भी स्वास्थ्य सचिव के द्वारा पत्र क्रमांक एनटीसीपी/2018/2458 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा समस्त प्राचार्य दन्त महाविद्यालय को निर्देश जारी किए गए थे तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एवं भारतीय दन्त परिषद के द्वारा भी उक्त के संबंध में समय–समय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त के क्रम में भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सा तथा दन्त महाविद्यालय सम्बद्ध अस्पतालों में "तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र (टीसीसी)" की सेवायें संचालित करने तथा टीसीसी के द्वारा रोगियों को दिए गए परामर्श एवं उपचार की प्रतिमाह प्रगति की रिपोर्ट संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भिजवाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(शुभ्रा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एनटीसीपी/2024/1814 दिनांकः 26.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर को ई–मेल हेतु।

(डॉ रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक, जन स्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
9262257

Document certified by SHUBHRA SINGH <...@gmail.com>.

Digitally Signed by Shubhra Singh
Designation: Additional Chief Secretary To Government
Date :25-07-2024 08:44:38